भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2802
10 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

तैयार इस्पात का आयात

2802. **श्री डी. एम. कथीर आनंदः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश ने वर्ष 2025-26 के दौरान 5 मिलियन टन तैयार इस्पात का आयात किया और तैयार इस्पात के आयात पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये व्यय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अन्य देशों से इस्पात के बढ़ते पाटन के संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस्पात के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने और आयात पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग): वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान आयात किए गए तैयार इस्पात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	**तैयार इस्पात का आयात**	
	मात्रा (एमटी में)	**मूल्य (करोड़ रुपये में)**
अप्रैल-फरवरी 2025-26*	5.62	52,627
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); एमटी=मिलियन टन , *अनंतिम		

भारत में अन्य देशों से इस्पात के बढ़ते पाटन के संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए, कुछ इस्पात उत्पादों जैसे लौह, मिश्रधातु या गैर-मिश्रधातु इस्पात (कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) के सीमलेस ट्यूब, पाइप और होलो प्रोफाइल (चीन पीआर से), इलेक्ट्रो-गैल्वेनाइज्ड स्टील (कोरिया आरपी, जापान और सिंगापुर से), स्टेनलेस स्टील के सीमलेस ट्यूब और पाइप (चीन पीआर से), वेल्डेड स्टेनलेस स्टील के पाइप और ट्यूब (वियतनाम व थाईलैंड से), मिश्रधातु या गैर-मिश्रधातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद (वियतनाम से), कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलैक्ट्रीकल स्टील (चीन पीआर से) पर पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) उपाय वर्तमान में लागू हैं।

जारी................2/-

इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। आयात और निर्यात के संबंध में निर्णय इस्पात कंपनियों द्वारा प्रौद्यो-वाणिज्यिक विचारों और बाजार की गतिशीलता के आधार पर लिए जाते हैं।

सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।
ii. देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत करना।
iii. उद्योग, प्रयोक्ताओं और बड़े पैमाने पर आम जनता को गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयात के साथ-साथ घरेलू बाजार में निम्न स्तर/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करना।
iv. केंद्रीय बजट 2026-27 में, घरेलू विनिर्माताओं का समर्थन करने और घरेलू इस्पात विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए :-

    क. फेरो-निकेल पर शून्य मूलभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) यथावत रखा गया है।
    ख. कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील के विनिर्माण के लिए उपयोग होने वाले फेरस स्क्रैप, मैगनीशियम ऑक्साइड (एमजीओ) कोटेड कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल और निर्दिष्ट वस्तुओं पर सीमा शुल्क छूट दिनांक 31.03.2028 तक बढ़ा दी गई है।

v. चीन और वियतनाम के वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपों और ट्यूबों के लिए प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लागू है।
vi. सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग के हितों की रक्षा के लिए टैरिफ शीर्षक 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 और 7226 के तहत आने वाली वस्तुओं पर तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में "गैर-मिश्रधातु और मिश्रधातु इस्पात फ्लैट उत्पादों" के आयात पर सुरक्षा शुल्क लगाया है।

*****